न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— डॉ एस0पी0सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या— 18/2015

बउनवान

ललताबाई उम्र 35 वर्ष पुत्री श्री नाथीबाई पत्नी कन्हैयालाल हाल पत्नी पप्पू जाति—माली निवासी—गोपाल कॉलोनी, मॉगरोल रोड़,बारां(राज0) (अपीलांटा)

बनाम

1— बजरंगलाल दत्तक पुत्र श्री पाचूलाल असल पुत्र श्रीकिशन जाति—माली निवासी ग्राम—भटवाडा तहसील—मॉगरोल जिला—बारां

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल

(रेस्पोंडेंट)

अपील विरूद्व तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 504 दिनांक 13.05.2005 वाके माल भटवाडा अन्तर्गत धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री बाबूलाल जैन,अभिभाषक (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 29.08.2018

अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 504 दिनांक 13.5.2005 वाके माल भटवाडा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि ग्राम भटवाडा की आराजी ख0नं0 877 रकबा 0.01 है0 एवं ख0नं0 878 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 रकबा 0.51 है0 कृषि भूमि खाता जमाबन्दी सेटलमेंट सम्वत 2039 खाता संख्या 160 से बजरंग दत्तक पुत्र पॉचू एवं नाथी पुत्री पॉचूलाल हिस्सा 1/2— 1/2 खाता दर्ज की गई थी। इस प्रकार खाता जमाबन्दी सम्वत् 2044—63 के खाता संख्या 154 में भी बजरंगलाल तथा नाथी का नाम हिस्सा 1/2 — 1/2 दर्ज था।

विवादित इन्तकाल नं0 504 दिनांक 13.5.05 से अपीलांटा ललताबाई की माता नाथीबाई पुत्री पॉचूलाल पत्नी कन्हैयालाल का नाम खाता जमाबंदी से हटाया गया। इस कारण खाता जमाबन्दी संवत 2062—2065 खाता संख्या 183 में बजरंगा दत्तक पुत्र नाथू अकेले का नाम दर्ज कर दिया है जबकि अपीलांटा मृत सहखातेदार हिस्सा 1/2 नाथी की एक मात्र जीवित पुत्री मौजूद है तथा हकदार है। विवादित इन्तकाल नं0 504 हल्का पटवारी द्वारा खोला गया है जिसमें तारीख व सन् स्पष्ट अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक नाथी के कोई संतान न होना मानकर नाथी के खाते की आराजी हिस्सा 1/2 सहखातेदार बजरंगा के खाते दर्ज क[illegible] जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट बजरंगलाल का असल पिता का नाम श्रीकिशन है। विवादित आराजी के असल खातेदार पॉचूलाल के एक मात्र पुत्री नाथीबाई थी। बजरंगा को दत[illegible] रखकर हिस्सा 1/2 खाता दर्ज किया गया था। मृतक नाथीबाई के हिस्से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की आराजी हिस्सा 1/2 उत्तराधिकारी अपीलांटा ललिताबाई जीवित है। इस कारण हिस्सा 1/2 अपीलांटा अपने खाते दर्ज कराने की अधिकारणी है। विवादित इन्तकाल नं0 504 मृतक नाथीबाई के वारिसान् की सहीं व निष्पक्ष जॉच नहीं की गई तथा फौती इन्तकाल ग्राम पंचायत कोरम अथवा मजमेआम में जॉच नहीं कर खोला गया। मात्र हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट पर बिना जॉच पडताल किये काश्तकारी कानूनों का उल्ल्घंन करते हुये तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा खोला गया है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 504 दिनांक 13.5.2005 वाके ग्राम भटवाडा को निरस्त फरमाया जाकर, मृतक नाथी पुत्री पॉचूलाल की उत्तराधिकारी पुत्री होने से अपीलांटा को उसके खाते एवं हिस्से की आराजी 1/2 अपीलांटा के खाते दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व रेस्पोडेंट की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांटा नाथीबाई के एकमात्र जीवित पुत्री है। विवादित आराजी के खातेदार पॉचूलाल जी थे। जिनकी मृत्यु होने पर उक्त आराजी ख0नं0 आराजी ख0नं0 877 रकबा 0.01 है0 एवं ख0नं0 878 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 रकबा 0.51 है0 ग्राम भटवाडा सेटलमेंट सम्वत 2039 में दत्तक पुत्र बजरंगलाल एवं नाथी पुत्री पॉचूलाल हिस्सा 1/2– 1/2 खाता दर्ज हुई है, जो बदस्तूर दर्ज चली आ रहीं थी किन्तु सहखातेदार नाथीबाई हिस्सा 1/2 हिस्सा खाते दर्ज है, अपीलांटा की माता है उनकी मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फौती इन्तकाल दर्ज करते समय मृतक नाथी के कोई औलाद नहीं बताकर, सम्पूर्ण आराजी का इन्तकाल नं0 504 दिनांक 13.5.2005 तस्दीक कर, आराजी रेस्पोडेंट के खाते दर्ज कर दी है। उक्त इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान् की कोई जॉच पडताल नहीं की गयी। जबकि तहसीलदार, मॉगरोल को उक्त इन्तकाल को तस्दीक करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत में उक्त इन्तकाल को पेश करना चाहिये था किन्तु रेस्पों0 ने अधीनस्थ न्यायालय से मिलीभगत करके सहखातेदारा नाथीबाई के हिस्से की आराजी 1/2 को अपने नाम दर्ज करा लिया है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मॉगरोल ने उक्त इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व वारिसान् के संबंध में निष्पक्ष जॉच नहीं की गयी है। अपीलांटा नाथीबाई की एक मात्र जायन्दा पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल तस्दीक करने से अपीलांटा के अधिकार समाप्त कर दिये है। रेस्पों0 बजरंगा के असल वास्तविक पिता श्रीकिशन है, जो पॉचूलाल जी के दत्तक आये है, इसी आधार पर उसके पूर्व में पाचू के खाते की 1/2 हिस्सा पूर्व से दर्ज है, उसपर उसका कोई विरोध भी नहीं है। [illegible] तो अपनी माता के हिस्से की आराजी को लेना चाहती है, जिसपर मात्र [illegible] का हीं पूर्ण अधिकार है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर [illegible] न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 504 दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.5.2005 वाके ग्राम भटवाडा को निरस्त किया जाकर, अपीलांटा नाथी पुत्री पॉचू की उत्तराधिकारी होने से, नाथी के हिस्से की आराजी हिस्सा 1/2 को अपीलांटा के खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे।

इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपीलांटा अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया है कि अपीलांटा ने अपील में अंकित किये गये तथ्य मनगढन्त व आधारहींन है। अपीलांटा ने वर्ष 2005 में तस्दीकी इन्तकाल को 10 वर्ष पश्चात् चुनौती दी है जो मियाद बाहर पेश की है जिसे किसी भी स्थिति में कन्डोन नहीं किया जा सकता है। अपील मियाद बाहर पेश होने से अपील खारिज योग्य है।

साथ हीं कथन किया कि विवादित आराजी पॉचूलाल की खातेदारी की भूमि थी जिनकी मृत्यु होने पर उक्त आराजी पत्नी रामकंवरी बेवा पॉचू के खाते दर्ज हुई। रामकुवारी के कोई वारिस नहीं होने से रामकुंवारी द्वारा रेस्पों0 को दिनांक 21.12.1976 को गोदपुत्र घोषित किया है। पाचू व रामकुवांरी के एक पुत्री नाथीबाई थी जिसका विवाह सन् 1955 में हुआ है जिसको 60 वर्ष हो चुके है, जबकि ललिताबाई द्वारा अपील में अपना जन्म वर्ष 1980 को बताती है, इस प्रकार नाथीबाई के शादी के 25 वर्ष बाद पुत्री होना संभव नहीं है। यह भी कथन किया कि यदि अपीलांटा हीं नाथीबाई की वारिस थी तो तत्समय नाथीबाई का फौती इन्तकाल दर्ज क्यो नहीं कराया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांटा ललिताबाई नाथी पुत्री पॉचू की पुत्री नहीं है। अपीलांटा को उक्त तस्दीकी इन्तकाल को चुनौती करने कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी इन्तकाल एक समरी ट्रायल कार्यवाहीं है जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। यदि अपीलांटा को उक्त इन्तकाल से आपत्ति है तो उसे घोषणा का दावा करना चाहिये था। अपीलांटा को नाथीबाई के हिस्से 1/2 की आराजी को प्राप्त करने के कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः अपीलांटा की अपील सारहींन होने से खारिज फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत DNJ(Raj.)2014(4) पेज 1638, DNJ(Raj.)2015(1) पेज 98, RLW 2015(1)RJ पेज 419, RBJ (11)2004 पेज 520, DNJ(Raj.)2014(SC) पेज 310 की प्रति पेश की।

तरदीदी बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांटा ने रेस्पों0 के कथन पर आपत्ति करते हुये निवेदन किया कि अपीलांटा हीं नाथूबाई की वैधानिक पुत्री है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व वारिसान् के संबंध में जॉच नहीं की गयी है। जहॉ तक अपीलांटा का कथन है कि अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। यह कथन इस अपील में चस्पा नहीं होता है क्योकि अपीलांटा ने जानकारी होने पर अपील पेश की है। वैसे भी यह विरासतन इन्तकाल है। विरासत के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिये यदि अधीनस्थ न्यायालय अपनी सन्तुष्टि के लिये जॉच करना चाहे तो कर सकते है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि विवादित आराजी ख0नं0 877 रकबा 0.01 है0 एवं ख0नं0 878 रकबा 0.50 है0 कुल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रकबा 0.51 है0 बजरंगलाल दत्तक पुत्र पाचूँलाल एवं नाथी पुत्री पॉचूलाल हिस्सा 1/2– 1/2 खाता दर्ज है। विवादित आराजी का इन्तकाल नं0 504 दिनांक 13.5.2005 सहखातेदारा नाथीबाई फोत होने पर खोला गया है जिससे सम्पूर्ण आराजी रेस्पोंडेंट के खाते दर्ज की गयी है। अपीलांटा का अपील में मुख्य तर्क रहा है कि उक्त तस्दीकी इन्तकाल नियम विरूद्व वारिसान् की जॉच किये बिना खोला गया है, अपीलांटा नाथीबाई की वैधानिक पुत्री है। इसलिये सहखातेदारा नाथीबाई के हिस्से 1/2 की आराजी उसके खाते दर्ज की जावे। इसपर रेस्पों0 की मुख्य आपत्ति रहीं है कि अपीलांटा ने अपील मियाद बाहर पेश की है तथा अपीलांटा नाथीबाई पुत्री पॉचूलाल की पुत्री नहीं है। इन्तकाल सहीं दर्ज हुआ है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का विधिक अवलोकन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा उक्त तस्दीकी इन्तकाल संख्या 504 सहखातेदारा नाथीबाई पुत्री पॉचूलाल हिस्सा 1/2 की मृत्यु पर फोती इन्तकाल दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इन्तकाल हल्का पटवारी की रिपोर्ट कि नाथी के वारिस बंजरगा है, इस आधार पर तस्दीक किया गया है। वारिसान् के संबंध में कोई जॉच नहीं की गयी है। चूकि अपील में अपीलांटा का मत है कि वह मृतका नाथीबाई पुत्री पॉचूलाल की प्राकृतिक वारिस है। चूकि यह अधीनस्थ न्यायालय के जॉच का विषय है कि अपीलांटा हीं नाथीबाई की वैधानिक पुत्री है या नहीं। अपील में रेस्पों0 का जहॉ तक कथन है कि अपील मियाद बाहर पेश की है, यह उचित प्रतीत होता है। किन्तु यदि अपीलांटा मृतका सहखातेदारा नाथीबाई की जायन्दा पुत्री है तो उसके विरासतन अधिकारों को भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिये हस्तगत अपील में वारिसान् की विधिक जॉच कराया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांटा की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 504 दिनांक 13.05.2005 वाके ग्राम भटवाडा को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मॉगरोल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि सहखातेदारा नाथीबाई पुत्री पॉचूलाल के वारिसान् की जॉच कर, पक्षकारान् को विधिवत सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, नाथीबाई के हिस्से की विवादित आराजी ख0नं0 877 रकबा 0.01 है0 एवं ख0नं0 878 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 रकबा 0.51 है0 हिस्सा 1/2 विरासतन वैधानिक वारिसान् के नाम दर्ज किया जावे। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मॉगरोल के समक्ष दिनांक 04.10.2018 को उपस्थित होकर

निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को सरे इजलास सुनाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official